राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2466/2023

नाहर सिंह सिनसिनवार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. संयुक्त शासन सचिव, वन विभाग आई.सी.डी.एस., शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
3. श्री सुमित बंसल, उप वन संरक्षक, अब अपीलार्थी के स्थान पर उप वन संरक्षक अधिकारी, आरटीआर द्वितीय, करौली (राज.) पदस्थापित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.09.2023
आदेश की दिनांक : 08.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद कुमार शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक/केविएटर

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.09.2023 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को उप वन संरक्षक, आरटीआर द्वितीय, करौली में कार्य करने के निर्देश दिए जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप वन संरक्षक, आरटीआर द्वितीय, करौली में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 21.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप वन संरक्षक गंगापुर सिटी किया गया है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 02.08.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप वन संरक्षक दस्ती दल कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक, भरतपुर से उप वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक आरटीआर द्वितीय करौली के पद पर किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 03.08.2023 के द्वारा कार्यग्रहण किया था, परंतु कार्यग्रहण पश्चात् डेढ

माह की अल्पावधि में ही निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप वन संरक्षक गंगापुर सिटी कर दिया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। उनका कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को नियम एवं नीति के विरूद्ध विपरीत माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.09.2023 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को उप वन संरक्षक, आरटीआर द्वितीय, करौली में कार्य करने के निर्देश दिए जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आदेश दिनांक 02.08.2023 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को भरतपुर से गंगापुर सिटी विशेष अधिकारी के पद पर स्थानान्तरित किया गया और आदेश दिनांक 08.08.2023 के द्वारा उसे उप वन संरक्षक गंगापुर सिटी पदस्थापित किया गया तथा आलोच्य आदेश दिनांक 21.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया, परंतु यह कहना पूर्ण रूप से गलत है कि समंजित करने के आशय से अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक अत्यावश्यकता के आधार पर ही किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है और यह नियोक्ता का अधिकार है कि कार्मिक की सेवाएं राज्य हित में किस स्थान पर ली जानी है, किसी भी कार्मिक/राज सेवा अधिकारी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान् अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 दोनों का एक ही पद है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के आधार पर मात्र 35 कि.मी. की दूरी पर ही किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप वन संरक्षक, आरटीआर द्वितीय, करौली में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 21.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप वन संरक्षक गंगापुर सिटी किया गया है। आदेश दिनांक 02.08.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप वन संरक्षक दस्ती दल कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक, भरतपुर से उप वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक आरटीआर द्वितीय करौली के पद पर किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 03.08.2023 के द्वारा कार्यग्रहण किया था, परंतु कार्यग्रहण पश्चात् डेढ माह की अल्पावधि में ही निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप वन संरक्षक गंगापुर सिटी कर दिया गया। इस प्रकार अति अल्पावधि में स्थानान्तरण किया जाना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य नामक एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10827/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2015 में इस तरह के स्थानान्तरण आदेशों को अनुचित माना है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण मात्र एक माह 18 दिवस की अल्पावधि में किया गया है, जो हमारे मत में उक्त विधि एवं नियमों के विपरीत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 21.09.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 29.09.2023 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य